न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

[illegible]दमा नम्बर 273/2011 दायर दिनांक –11.11.2011

1. उम्मेद सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी बगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. शंकरलाल पुत्र भुराराम जाति ब्राहम्ण निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
3. कुरड़ाराम पुत्र मालाराम
4. पूर्णमल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री हरलाल सैनी**
वकील प्रति. :– **श्री अशोक कुमार जांगिड़**

दावा बाबत– घोषणार्थ व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.02.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.67 है0 स्थित है। उक्त भूमि का खातेदार प्रतिवादी नं0 2 था जिसने भुमि को काश्त किया था तथा वह आजीवन कुवारा था तथा उसने विक्रम सम्वत 2022 तक भूमि को काश्त किया था तथा उसके बाद उसके कोई विधिक वारीस नही होने के कारण से उसने वादी के स्वर्गीय पिता मालाराम को प्रस्तुत भूमि गिरवी रख दी तथा वह स्नयासी हो गया तथा ग्राम बुगाला से चला गया तथा ग्राम बुगाला में रहने के दौरान ही उसने यह घोषणा कर दी थी कि उसके कोई वारीस नही है तथा कोई नजदीक अथवा दूर का भी वारीस नही होने के कारण से उक्त भुमि पर अपने जीवन काल में स्वर्गीय मालाराम तथा उसनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज खातेदार रहेगा तथा उक्त भुमि के सभी अधिकार वादी को प्राप्त होंगे। वादी के पिता की मृत्यु हुए करीबन 30 वर्ष हो गये है। वादी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही उक्त भूमि को काश्त किया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ उप0। प्रतिवादीगण 01 व 02 की ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी उम्मेदसिंह, बेजपाल व नाहरसिंह उपस्थित हो अपनी मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदीयां तथा नकल मिलान क्षैत्रफल आदि दस्तावेजात् पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील [illegible] वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि वाद पत्र में दर्ज भूमि का राजस्व [illegible] वादी संख्या 02 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उक्त भूमि वादी के पिता को [illegible] चला गया जिसको वादी के पिता के फौत होने के बाद से वादी का कब्जा काश्त है तथा उक्त [illegible] का प्रतिवादी संख्या 2 का वारिस वादी है। अतः उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर दी जावे। पत्रावली के अवलोकन [illegible] गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] व ग्राम बुगाला की सरहद में [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1036 रकबा 0.67 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 है। तथा वादी की ओर से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त व प्रतिवादी संख्या 2 का एकमात्र वारिस होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

35

साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। अतः वादी को उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:56 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती
(उम्मेद सिंह बनाम तहसीलदार आदि)

मुकदमा सं0:– 273/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.02.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:56 IST
Reason: SelfAttested